न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

मिसल न०- 01./2022

अनवान :-

1. महादाराम पुत्र जीसुख जाति सैनी (माली) निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुल्तान पुत्र जीसुख जाति सैनी (माली) निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
3. राजेराम पुत्र जीसुख जाति सैनी (माली) निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
4. अमरसिह पुत्र रामकुमार पुत्र जीसुख जाति सैनी माली साकिन चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सन्तलाल पुत्र रामकुमार पुत्र जीसुख जाति सैनी माली साकिन चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. भजनलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. इन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
5. सुभाष पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
6. कमलेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
7. पुष्पा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
8. बनारसी पत्नी रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
9. रेशमा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
10. लिछमा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
11. सीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर

गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज० काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री महेश चन्द्र शर्मा अभिभाषक, प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक : 30/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 116/112 के प०न० 337/426(13) किला न० 7 ता 14 ,17 ता 23 कुल 3.7950हैक्‍ भूमि सायलान के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मोजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 70/70 के प०न० 335/428(29) के किला न० 7 ता 9 ,12 ता 14 ,17 ता 19 ,22 ता 24 प०न० 337/426(13) के किला न० 61/1 ,6/2 , 15/1 ,15/2 16/1, 16/2 ,24 ,25/1 ,25/2 प०न० 338/426(12) किला न० 8/2 ,9 ता 12 ,19 ता 22 प०न० 338/427(17) किला न० 2/1 ,2/2 की कुल 6.6670हैक्‍ भूमि गैरसायला न० 1 ता 11 के नाम सयुक्त तौर से बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायलान के खेत का रास्ता सदामत से नोहर भादरा सडक से होते हुए प०न० 337/426(13) के किला न० 5 ,6 ,15 ,16 ,25 मंजूर शुद्वा रास्ता से होकर किला न० 16/2 की 0.228हैक्‍ भूमि में दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम अपने खेत के किला न० 17 में प्रवेश कर जाते है यह रास्ता गत 50-60 सालो से चालू है यह रास्ता सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नजदीकी व सुविधाजनक है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में पहुचने का उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे गैरसायलान बन्द करने की धमकी दे रहा है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी व सायलान अपने खेत में जाने से महरूम हो जावेगे इसलिये सायलान उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

सायलान ने सदामत से चालू आ रहे उक्त रास्ता को स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एव रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में भूमि देने का भी निवेदन किया गया जिस पर गैरसायलान कुछ दिनो तक तो आज कल आज करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकार करवाने का पेश किया गया है।

अतः सालय के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 23 एनटीआर के प०न० 337/426(13) किला न० 16/2 की 0.228 है० भूमि में दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 1-1 बिश्वा रास्ता स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे एवं रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में भूमि देने का तेयार है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 ,6,7 9 ता 11 जो जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते खातेदार काश्तकार है गैरसायल के खेत के किला न० 16 में कभी रास्ता /आवागमन नही हुआ है ना ही चालू रास्ता रहा है प्रार्थी ने मनगढत तथ्य अंकित किये गये है किला न० 16 से कभी सायलान आवागमन नही किया गया है।

सायलान अपने खेत में नोहर भादरा सडक से होतु हुए प०न० 337/426(13) के किला न० 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में मन्जुरशुदा रास्ता से होते हुए खेत में जाने के लिये अप्रार्थीगण के खेत में प०न० 337/426 (13) के किला न० 6 मे से प्रवेश करता एव सायलान किला न० 7 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं अत्याधिक नजदीक है किला न० 6 में रास्ता स्वीकृत कर रास्ते के बदले में भूमि दी जाकर स्वीकृत किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ,2 व 4 ,5 के प०न० 337/426(13) के किला न० 16/2 में अप्रार्थीगण संख्या 1 भजनलाल का मकान बना हुआ है तथा सायला ने जानबुझकर अप्रार्थीगण के मकान में से रास्ता चाहा गया है इसलिये किला न० 16/2 में रास्ता स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार राजस्व नोहर से उक्त रास्ते के सम्बध में नजरी नक्शा /रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार नोहर ने 871 दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल है

गैरसायलान का जबाब व मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा प्राप्त होने पर उभयपक्षो की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 116/112 के प०न० 337/426(13) किला न० 7 ता 14 ,17 ता 23 कुल 3.7950है० भूमि सायलान के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मोजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 70/70 के प०न० 335/428(29) के किला न० 7 ता 9 ,12 ता 14 ,17 ता 19 ,22 ता 24 प०न० 337/426(13) के किला न० 61/1 ,6/2 , 15/1 ,15/2 16/1, 16/2 ,24 ,25/1 ,25/2 प०न०

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

338/426(12) किला न0 8/2 ,9 ता 12 ,19 ता 22 प0न0 338/427(17) किला न0 2/1 ,2/2 की कुल 6.6670हैव भूमि गैरसायला न0 1 ता 11 के नाम सयुक्त तौर से बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायलान के खेत का रास्ता सदामत से नोहर भादरा सडक से होते हुए प0न0 337/426(13) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 मंजूर शुद्वा रास्ता से होकर किला न0 16/2 की 0.228हैव भूमि में दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम अपने खेत के किला न0 17 में प्रवेश कर जाते है यह रास्ता गत 50-60 सालो से चालू है यह रास्ता सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नजदीकी व सुविधाजनक है

सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में पहुचने का उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे गैरसायलान बन्द करने की धमकी दे रहा है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी व सायलान अपने खेत में जाने से महरूम हो जावेगे इसलिये सायलान उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अतः सालय के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 23 एनटीआर के प0न0 337/426(13) किला न0 16/2 की 0.228 हैव भूमि में दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 1-1 बिश्वा रास्ता स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे एवं रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में भूमि देने का तेयार है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायलान 1 ,2 ,4 ,5 ,8 निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते खातेदार काश्तकार है गैरसायल के खेत के किला न0 16 में कभी रास्ता /आवागमन नही हुआ है ना ही चालू रास्ता रहा है प्रार्थी ने मनगढत तथ्य अंकित किये गये है किला न0 16 से कभी सायलान आवागमन नही किया गया है।

सायलान अपने खेत में नोहर भादरा सडक से होतु हुए प0न0 337/426(13) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 मे मन्जुरशुद्वा रास्ता से होते हुए खेत में जाने के लिये अप्रार्थीगण के खेत में प0न0 337/426 (13) के किला न0 6 मे से प्रवेश करता एव सायलान किला न0 7 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं अत्याधिक नजदीक है किला न0 6 में रास्ता स्वीकृत कर रास्ते के बदले में भूमि दी जाकर स्वीकृत किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ,2 व 4 ,5 के प0न0 337/426(13) के किला न0 16/2 में अप्रार्थीगण संख्या 1 भजनलाल का मकान बना हुआ है तथा सायला ने जानबुझकर अप्रार्थीगण के मकान में से रास्ता चाहा गया है इसलिये किला न0 16/2 में रास्ता स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाव शामिल निसल किया गया ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायलान एवं गैरसायलान दोनो खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है।

सायलान का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत रास्ता नही है सायलान गैरसायलान की भूमि प0न0 337/426(13) के किला न0 16/2 के दक्षिण किनारे से पूर्व से पश्चिम से होकर आवागमन करता है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है।

गैरसायलान का कथन है सायलान किला न0 16 में कभी भी रास्ता चालू नही रहा ना ही कभी आवगमन किया गया है किला ● 16 में मकान बना होना जाहिर किया गया है किला न0 6 में रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी गई।

सायलान एवं गैरसायलान का कथन विरोधाभाषी है सायलान अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ते का उपयोग तो आवश्यक तौर किया जाता रहा है तथा किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि तक रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर.3

Scanned with CamScanner

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा के अनुसार सायलान अपनी कृषि भूमि मे आवागमन रोही मोजा चक 23 एनटीआर के प0न0 337/426(13) किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में स्वीकृत शुद्दा रास्ता से होते हुए किला न0 16/2 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर की भूमि रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे है यहि सूविधजनक रास्ता है क्योकि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 22 ,23 में रिहायशी मकान बना रखे है तथा इस रास्ते का लम्बे समय से उपयोग सायलान कर रहे है तथा यह भी अकित किया गया है यदि यह रास्ता स्वीकार हो जाता है तो भविष्य की परेशानीयो से बचा जा सकता है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्दा रास्ता नही है तथा सायलान किला न0 16/2 दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर की भूमि को रास्ते के उपयोग में लम्बे समय से कर रहे है जिससे सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की पुष्टि होती है।

गैरसायलान का कथन है कि सायलान के किला न0 6 में रास्ता स्वीकार किया जावे न्यायोचित नही है क्योकि किला न0 6 में भी गैरसायलान की भूमि है और किला न0 16/2 भी गैरसायलान की भूमि है यदि किला न0 6 में रास्ता स्वीकार किया जाता है तो सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में बने रिहायशी मकान मे चार किले चल कर जाना होगा एवं फसल काश्त के समय फसल के बीच में जाना होगा जबकि यदि किला न0 16/2 में रास्ता स्वीकार किया जाता है तो सायलान अपनी रिहायशी मकान में स्वीकृतशुद्दा रास्ता से होकर एक किला दुरी पर ही पहुच जाते है दोनो तरफ गैरसायल को एक किला में ही रास्ता दिया जाना है जो किला न0 16/2 में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अनुसार सायलान गैरसायल के किला न0. 16/2 दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर की भूमि रास्ते के उपयोग में काफी समय से करते आ रहे है तथा यह रास्ता स्वीकार किया जाना भी न्यायोचित अंकित करते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अभिशषा भी की गई है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा एवं उक्त विवेचन के अनुसार सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य /सबुत/मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प0न0 337/426(13) किला न0 16/2 की 0.228हैव भूमि में दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 1 बिश्वा (1 गठठा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते में जितनी भूमि आती है उसनी भूमि सायलान गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि किला न0 6 के विपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2022 / 973 दिनांक 30/03/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध मे प्रार्थना–पत्र सं0 01 सन 2021 निर्णय दिनांक 30/03/2022.

अनवान :- अनवान :-

1. महादाराम पुत्र जीसुख जाति सैनी (माली) निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 सुल्तान पुत्र जीसुख जाति सैनी (माली) निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
3 राजेराम पुत्र जीसुख जाति सैनी (माली) निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
4 अमरसिंह पुत्र रामकुमार पुत्र जीसुख जाति सैनी माली साकिन चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 सन्तलाल पुत्र रामकुमार पुत्र जीसुख जाति सैनी माली साकिन चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम्

1 भजनलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2 इन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3 रामस्वरूप पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4 शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
5 सुभाष पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
6 कमलेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
7 पुष्पा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
8 बनारसी पत्नी रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
9 रेशमा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
10 लिछमा पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर
11 सीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर

गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प0न0 337 / 426(13) किला न0 16 / 2 की 0.228हैक्ट भूमि में दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 1 बिश्वा (1 गठठा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते में जीतनी भूमि आती है उसनी भूमि सायलान गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि किला न0 6 के चिपते हुए देगे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner